न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2014 (GCMS 2014/00053)	02.06.2014	29.01.2021

अनवान

लाभचन्द्र आत्मज घीसालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. हीरादास आत्मज डालुदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी बंदे का राजपुरा तहसील बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बेंगू

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र निगरानी अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत विरुद्ध आदेश भू–आवंटन उपखण्ड अधिकारी बेंगू दिनांक 22.05.1981 भू आवंटन पत्रावली संख्या 701/1981 ::–

उपस्थिति :–	श्री सत्यनारायण ईनाणी	प्रार्थी
	श्री भैरूदास वैष्णव	अप्रार्थी संख्या 1
	श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्यर 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू0 आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखंड अधिकारी महोदय बेगू ने विपक्षी संख्या 1 को ग्राम राजगढ़ की आराजी संख्या 270 में से 2 बीघा भूमि आवंटन की उस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी निम्न आधार बिंदुओं पर प्रस्तुत है, अधीनस्थ अधिकारी का आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। योग्य उपखंड अधिकारी ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं की। भू–आवंटन के लिए प्रस्तावित सूची भी तैयार नहीं की और ना ही कोई प्लोकेमेशंन ही जारी किया और ना ही भू आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को नियमानुसार कोई सूचना ही दी गई। जिससे विकास अधिकारी, प्रधान एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य उपस्थित ही नहीं थे। भू आवंटन के पश्चात विपक्षी संख्या 1 को भूमि पर कोई कब्जा नहीं दिया गया और ना ही कोई कभी भूमि आबाद की। उसे यह भी जानकारी नहीं कि उसको भूमि कहां पर है। भू–आवंटन को लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आवंटी ने तो कोई कब्जा लिया और न ही भूमि को आबाद किया। इसलिए गिरदावरी में 2043 से लगातार भूमि पडत बीड के रूप में ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:02 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकित है, और इसी कारण इतने अर्से के पश्चात पश्चात् भी भूमि आबाद न करने से यह भूमि गैरखातेदारी में ही अंकित है। इस आवंटन की आड़ में विपक्षी संख्या 1 मेरी कब्जेशुदा आराजी संख्या 270 में से 2 बीघा को अपनी बनाना चाहता है, जो भूमि मेरी व मेरी पत्नी की खातेदारी की भूमि 425/270 एवं 435/270 से लगी हुई है। इस बाबत हमारे विरुद्ध तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है, हम बरसों से पेनल्टी जमा करा रहे हैं। हमें नाजायज रूप से परेशान करके भूमि पर कब्जा करने की नियत से विपक्षी संख्या 1 के पुत्र ने थाने में ईत्तला की, उस पर भी इस भूमि को पडत बीड बताया है। इस प्रकार स्पष्ट विपक्षी संख्या 1 का भूमि पर कब्जा नहीं है, और यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि भू आवंटन ग्राम राजगढ़ में हुआ एवं खाते में यह भूमि राजगढ़ तालाब में अंकित की है, जो अलग मौजा है। इस प्रकार आवंटन वास्तव में कोई आवंटन ही नहीं हुआ है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है, क्योंकि उसकी आड़ में विपक्षी संख्या 1 व उसका पुत्र हमारे कब्जेशुदा बाबत अनावश्यक विवाद पैदा करना चाहता है, जिससे उन्हें कोई अधिकार नहीं है। भूमि हमारी खातेदारी भूमि से मिली हुई है, हमने काफी खर्चा करके अंग मेहनत करके इसको आबाद किया है, और हमारे विरुद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही चल रही है विपक्षी संख्या 1 बिना किसी आधार के हमारे कब्जेशुदा भूमि पर आना चाहता है, क्योंकि उसके नाम आवंटन अंकित है जिससे आवंटन निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 का आवंटन दिनांक 22.05.1981 में बमामले पत्रावली संख्या 701/81 बाबत आराजी संख्या 270 रकबा 2 बीघा ने फरमाया जावे।

इस पर प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी की और से दिनांक 16.10.2014 उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 19.02.2015 को अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि उपखंड अधिकारी ने कार्यवाही की, तथा भू-आवंटन के लिए प्रस्ताव सूची भी तैयार की और प्लोकेमशन जारी किया। आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किया गया है, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश किया है उससे पूर्व ही विपक्षी संख्या 1 का कब्जा हो काश्त करता चला आ रहा है, तथा काफी अंग मेहनत करके उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य कर रहा है तथा जिस जगह कृषि भूमि आवंटन हुई उसी जगह काश्त करता चला आ रहा है, तथा उक्त भूमि पर कदीम से प्रार्थी का कब्जा हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, राजस्व रिकार्ड विपक्षी के पास नहीं रहता है, राजस्व रिकार्ड में पड़त भूमि पडत बीड के रूप में अंकित है, तो उसकी किस्म बीड है, किस्म करा परिवर्तन विपक्षी ने नहीं करवाया है, उसका परिवर्तन तो तहसीलदार के अधीन कर्मचारी द्वारा ही किया जाता है। काश्तकार विपक्षी अनपढ़ होकर का काश्तकार है। इतने पुराने एलोटमेंट को निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। उक्त आराजी के पास में प्रार्थी लाभचन्द की कोई सीमा नहीं लगी हुई है, प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी के विरुद्ध 91 की कार्यवाही की जा रही हो तो, उसमें विपक्षी को आवंटन भूमि में किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 91 की कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:02 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाती है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमणी हो जबकि उक्त भूमि आवंटन होकर विपक्षी द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है, इसीलिए विपक्षी की आवंटनशुदा भूमि पर 91 की कार्यवाही होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जबरन विपक्षी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से प्रार्थी भूमि पर मिट्टी खोदकर अपने खेत पर ले जाने को आमादा हुआ, जिसकी पुलिस थान बेंगू में दिनांक 15.03.2014 को रिपोर्ट दर्ज करवाई जिससे नाराज होकर कानूनी सलाहकारों से राय लेकर झूठी निगरानी पेश की है। उक्त आराजी राजगढ तालाब में अंकित है तथा मौजा बंदे का राजपुरा गांव एक ही सरहद में तथा उक्त आराजी विरान गांव की आवंटन हुई है। प्रार्थी घीसालाल स्वयं गोपालपुरा का निवासी है तथा गोपालपुरा राजगढ़ तालाब बंदे के राजपुरा से काफी दूर है, तथा किसी प्रकार का अलग मौजा नहीं है। राजगढ़ तालाब व बंदे का राजपुरा एक ही है। आवंटन आदेश की पालना पूर्ण की गई है, तथा भूमि को आबाद की गई है। एक फसली फसल पैदा होती तथा मौके पर विपक्षी काबिज होकर काश्त कर रहा है। आवंटन निरस्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा प्रार्थी प्रभावशाली व्यक्ति होकर राजनीतिक पहुंच वाला है। झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त आराजी पर कब्जा कर हड़पना चाहता है, इसलिए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व विपक्षी ने कभी अनावश्यक विवाद नहीं किया है, क्योंकि विपक्षी गरीबों पर अकेला परिवार है तथा विपक्षी के पास और कोई भूमि नहीं है। आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा है केवल मनगढ़ तथ्यों के आधार पर प्रार्थी ने बद्रीलाल रेबारी से भूमि 4-5 वर्ष पूर्व ही खरीदी है। विपक्षी को आवंटन 1981 का है तथा उससे पूर्व से ही काश्त करता चला आ रहा है, इसलिए उक्त भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, नहीं विपक्षी की आवंटन भूमि पर कभी प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं रहा है, बल्कि कब्जा करने की नियत से मिट्टी खोदी जिस पर पुलिस थाना बेगू ने प्रार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जिससे नाराज होकर आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। कानूनी अनुसार वर्षो पुराने किए गए आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थी ने विपक्षी का आवंटन दिनांक 22.05.1981 को पत्रावली संख्या 701/81 बाबत आराजी संख्या 270 में से 2 बीघा भूमि को निरस्त कराने का निवेदन किया उसे निरस्त फरमाया जाकर साबिक आराजी संख्या 270 के नए आराजी संख्या 467/270 को बाल रखी जावें तथा आवंटन वैद्य माना जावें व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वं खारीज फरमाया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगूं से मूल अभिलेख पत्रावली संख्या 701/81 नि0दि0 22.05.1981 को तलब किया गया। इस पर प्रभारी अधिकारी (जिला अभिलेखागार) चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/रेकार्ड/01 दिनांक 02.01.2015 से प्रेषित किया गया जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 15.01.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर आये और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपनी निगरानी प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते है, आवंटन बाबत कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई एतराज जाहिर नहीं किया गया।

हस्तगत निगरानी प्रार्थना पत्र में विधिक तथ्यों के संबंध में एतराज किया गया ऐसी स्थिति में पत्रावली का निर्णय गुणागुण पर किये जाने के प्रावधान होने से पत्रावली का निर्णय गुणावगुण किये जाने हेतु रिजर्व किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि भू–आवंटन के लिए प्रस्तावित सूची भी तैयार नहीं की और ना ही कोई प्लोकेमेशंन ही जारी किया और ना ही भू आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को नियमानुसार कोई सूचना ही दी गई। जिससे विकास अधिकारी, प्रधान एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य उपस्थित ही नहीं थे। भू आवंटन के पश्चात विपक्षी संख्या 1 को भूमि पर कोई कब्जा नहीं दिया गया और ना ही कोई कभी भूमि आबाद की। आवंटी ने तो कोई कब्जा लिया और न ही भूमि को आबाद किया। इसलिए गिरदावरी में 2043 से लगातार आज तक यह भूमि पडत बीड के रूप में ही अंकित है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से भूमि आबाद नहीं करने से आवंटन आदेश जो वैधानिक रूप से भी गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। जबकि विपक्षी संख्या ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को सूचना दी, तथा राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नियुक्त किया गया है, उन सदस्यों ने समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटन किया है, जो सही एवं सत्य है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश किया है उससे पूर्व ही विपक्षी संख्या 1 का कब्जा हो काश्त करता चला आ रहा है, तथा काफी अंग मेहनत करके उक्त भूमि को उपजाऊ बनाकर कृषि कार्य कर रहा है तथा जिस जगह कृषि भूमि आवंटन हुई उसी जगह काश्त करता चला आ रहा है, तथा उक्त भूमि पर कदीम से प्रार्थी का कब्जा हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसके साथ प्रार्थी द्वारा आवंटी को आवंटन के पश्चातवर्ती वर्ष अर्थात् वर्ष 1981 के बाद लगातार वर्षो के काश्त बाबत कोई अभिलेख पेश नही किये जाकर संवत् 2043–46, 2051–54, 2055–58, 2059–62 की नकल खसरा गिरदावरी पेश की गई। वस्तुतः आवंटी को भूमि का कब्जा पटवार हल्का मेघपुरा द्वारा आवंटन के पश्चात दिनांक 22.06.1981 को सौपा जा चुका था। आवंटी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि आवंटित भूमि पर उसी का कब्जा होकर उपयोग/उपभोग में ली जा रही है। जबकि प्रार्थी ने बद्रीलाल रेबारी से भूमि 4–5 वर्ष पूर्व ही खरीदी है। विपक्षी को आवंटन 1981 का है तथा उससे पूर्व से ही काश्त करता चला आ रहा है। विपक्षी ने कब्जा एवं काश्त नहीं की है, किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हो पाया है। जहां तक गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रश्न है कृषि भूमि हेतु भू–आवंटन नियम 1970 के प्रावधान अनुसार आवंटी खातेदारी की पात्रता रखता है। आवंटन के 30 वर्षो बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना पत्र का कोई पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। 33 वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है। उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में उठाए गए हैं वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। विधिवत भूमि की उद्घोषणा जारी होकर सलाहकार समिति की राय के अनुसार आवंटन किया गया है। प्रथम दृष्ट्या तो आवंटित भूमि पर कब्जा प्रार्थी का प्रमाणित नही है। यदि कब्जा प्रार्थी का माना भी जाये तो प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में आता है। विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रस्तुत अभिलेख से प्रतीत है। छल–कपट या नियमों के विपरीत भूमि आवंटन का होना नही पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार से आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:02 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी बेंगूँ द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 701/1981 दिनांक 22.05.1981 में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू० आवंटन) नियम 1970 के सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी हीरादास पिता डालुदास बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी लाभचन्द पिता घीसालाल धाकड निवासी गोपालपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 में सारहीन होने से खारीज किया जाता है, एवं विपक्षी हीरादास पिता डालुदास बैरागी निवासी बंदे का राजपुरा का आवंटन उपखण्ड अधिकारी बेंगूँ द्वारा आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 701/1981 दिनांक 22.05.1981 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:02 IST
Reason: SelfAttested